संख्या– / XVIII(II) / 2021–03(03) / 2019

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 अगस्त, 2021

विषयः– इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय भवन की स्थापना / निर्माण हेतु 0.3080 है0 भूमि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–101 / 12ए–09(2020–2023)डी0एल0आर0सी0–2021, दिनांक 25 जनवरी, 2021 तथा पत्र संख्या–215 / XIIA–53(2020–2023)डी0एल0आर0सी0–2021, दिनांक 19 अप्रैल, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय भवन की स्थापना / निर्माण हेतु ग्राम डांडा लखौण्ड की खतौनी वर्ष 1417–1422 फसली में खाता संख्या–351 में खसरा संख्या–277छ क्षेत्रफल 0.3080 है0 भूमि खाला श्रेणी–6(1) जलमग्न का नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किये जाने के उपरान्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय भवन की स्थापना / निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्राम डांडा लखौण्ड की खतौनी वर्ष 1417–1422 फसली में खाता संख्या–351 में खसरा संख्या–277छ क्षेत्रफल 0.3080 है0 भूमि खाला श्रेणी–6(1) जलमग्न भूमि का जनहित एवं सार्वजनिक उपयोग की योजना के दृष्टिगत भूमि की श्रेणी–6(1) जलमग्न से भिन्न श्रेणी में इन्द्राज करने हेतु उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली–1995 की धारा–155(क) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही इस शर्त के साथ करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–233 / 2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 10–04–2014 में दिये गये निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी के जल का प्रभाव सुचारू रूप से बना रहे, के उपरान्त शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496 / XVII(II) / 2020–08(63) / 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि रू0 1,38,60,000 / –(एक करोड़ अड़तीस लाख साठ हजार रूपये मात्र)

...2

एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा सं... भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–09–05–1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत प्रदान की गयी है।

(5) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(6) पट्टे का प्रतिवर्ष नवीनीकरण निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष लीज रेन्ट वृद्धि भी विचारणीय होगी जो एक से डेढ़ गुना कम नहीं होगी।

(7) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(10) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

....3

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम)
सचिव।

संख्या–572/XVIII(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।